वाणिज्य कर अपील अधिकरण, उत्तराखण्ड,
द्विसदस्यीय पीठ : देहरादून

उपस्थित : मलिक मजहर सुलतान,एच०जे०एस० ....अध्यक्ष,
अंजली बैंजवाल..सदस्य,

द्वितीय अपील सं०: 38 / 2025 {2016–2017 केन्द्रीय वाद धारा 9(2) }

सर्वश्री मै0 तलवार फार्मा, मंगलौर, रूड़की...अपीलार्थी,

बनाम,

आयुक्त–कर, उत्तराखण्ड, देहरादून ....प्रत्यर्थी,

अपीलार्थी की ओर से : श्री आलोक कुमार शर्मा .... अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री भुवन चन्द्र पाण्डे ....उपायुक्त एवं राज्य प्रतिनिधि।

–:: निर्णय ::–

मलिक मजहर सुलतान, अध्यक्ष,

प्रस्तुत अपील विद्वान संयुक्त आयुक्त (अपील) राज्य कर के द्वारा प्रथम अपील संख्या 99 / 2025 (वर्ष 2016–17 केद्रीय) में पारित आदेश दिनांक 02 / 07 / 2025 के विरूद्ध योजित की गयी है।

आलोच्य आदेश के माध्यम से विद्वान संयुक्त आयुक्त द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र वास्ते विवादग्रस्त धनराशि की वसूली को शत प्रतिशत रोधित करने को निरस्त कर दिया था।

अपील के निस्तारण हेतु मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी फर्म का कर निर्धारण वर्ष 2016–17 (केद्रीय) कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रु0 53,73,578 / – की मांग सृजित की गयी है, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील दायर की गयी तथा प्रथम अपील में ही विवादग्रस्त धनराशि को शत प्रतिशत रोधित करने हेतु एक प्रार्थना–पत्र प्रथम अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादग्रस्त धनराशि की 95 प्रतिशत की वसूली को प्रथम अपील के निस्तारण तक स्थगित किया गया तथा अस्थगित धनराशि को 30 दिन के अंदर जमा करने हेतु आदेशित किया गया तथा यह भी आदेशित किया गया कि स्थगित धनराशि की जमानत कर निर्धारण अधिकारी के संतोषानुसार 45 दिन के अंदर जमा कर दे। तद्परान्त अपीलार्थी के द्वारा स्थगन आदेश की समय सीमा बढ़ाये जाने हेतु एक अन्य प्रार्थना–पत्र

प्रथम अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे आलोच्य आदेश के माध्यम से प्रथम अपीलीय अधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया गया।

उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायाधिकरण के समक्ष द्वितीय अपील इन आधारों पर योजित की गयी है कि प्रथम अपीलीय अधिकरण द्वारा विवादग्रस्त धनराशि का शत प्रतिशत स्थगित न करके विधिक त्रुटि की है, क्योंकि अपीलार्थी को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। वाद एक पक्षीय रूप से निस्तारित किया गया है। अतः शत प्रतिशत स्टे प्रदान किया जाना न्याय हित में है। आगे अपीलार्थी के द्वारा यह बताया गया कि विभाग द्वारा वैट रूल्स के रूल 18(2) के अन्तर्गत डिमांड नोट जारी नहीं किया गया तथा वैट एक्ट की धारा 34(12) का अनुपालन नहीं किया गया। बिना डिमांड नोट जारी किए डिमांड पर बल देना विधि विरुद्ध है। आगे कथन किया गया कि अपीलार्थी फर्म की माली हालत खराब है, देन दारियों का अधिक दवाब है तथा प्रार्थना की गयी कि प्रथम अपील के निस्तारण तक विवादग्रस्त धनराशि शत प्रतिशत स्थगित किया जाए।

पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे विदित है कि अपीलार्थी के द्वारा कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध दायर प्रथम अपील संख्या 99/2025 (वर्ष 2016–17 केद्रीय) प्रथम अपीलीय अधिकरण के समक्ष लंबित है तथा इस मामले में स्वीकृत टैक्स की धनराशि जमा है। अपीलार्थी का कथन है कि उसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया, जबकि कर निर्धारण आदेश के अवलोकन से विदित है कि मूल रूप से व्यापारी के संगत वर्ष का अंतिम कर निर्धारण दिनांक 30/03/2022 को एक पक्षीय रूप से पारित किया गया था, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील दायर की गई थी, जिसे स्वीकार करते हुए प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वाद को पुनः कर निर्धारण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था। वाद के प्रति प्रेषित होने के बाद भी अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस मामले में सुनवाई का पर्याप्त अवसर अपीलार्थी को प्रदान किया गया। अंततः जब अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए तो वाद को एक पक्षीय रूप से निर्धारित किया गया।

प्रस्तुत अपील के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त धनराशि के शत प्रतिशत स्थगन हेतु अनुतोष याचित किया गया है। उत्तराखण्ड वैट अधिनियम की धारा 53 की उप धारा 7 में यह उपबंधित किया गया है, कि अधिकरण सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत आलोच्य आदेश के क्रियान्वयन अथवा विवादग्रस्त संपत्ति की वसूली को अपील के निस्तारण तक स्थगित कर सकता है, साथ ही उक्त धारा की उपधारा 8 में यह उपबंधित किया गया है कि वादग्रस्त टैक्स की धनराशि की वसूली को स्थगित करने हेतु कोई भी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक कि प्रार्थी/अपीलार्थी इस तथ्य का कोई संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है कि उसके द्वारा वादग्रस्त धनराशि का कम

से कम 1/3 जमा कर दिया गया है। उत्तराखण्ड वैट अधिनियम की धारा 53 की उपधारा 8 निम्न प्रकार है–

Section 53 (8)

"No application for stay of recovery of any disputed amount of tax, fee or penalty shall be entertained unless the applicant has furnished satisfactory proof of the payment of not less than one third of such disputed amount in addition to the amount required to be deposited under sub-section (4) of Section 51:

***Provided** that where the amount in dispute in appeal is less then rupees twenty five thousand the dealer shall not be required to deposit the one third of such disputed amount:"*

पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह विदित होता हो कि अपीलार्थी के द्वारा वादग्रस्त टैक्स की 1/3 धनराशि जमा कर दी गयी है। अतः इन परिस्थितियों में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील जिसके माध्यम से वादग्रस्त संपत्ति के शत प्रतिशत स्थगन हेतु याचना की गयी है। पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

–: आदेश :–

व्यापारी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 38/2025 (वर्ष 2016–17) केंद्रीय धारा 9(2) सर्वश्री मै0 तलवार फार्मा, मंगलौर, रूड़की बनाम आयुक्त–कर, उत्तराखण्ड, देहरादून, पोषणीय न होने के कारण निरस्त की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

ह0/दि0–20/12/2025
(अंजली बैंजवाल)
सदस्य,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तराखण्ड,देहरादून

ह0/दि0– 20/12/2025
(मलिक मजहर सुलतान)
अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

दिनांकः 20 दिसम्बर, 2025